न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
105 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	17.12.2021	24.02.2022

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री हरिशकंर पाटीदार पुत्र श्री लालचन्द पाटीदार एफ.बी.ओ मैसर्स जितेन्द्र कुमार हरिशकंर चुंगी नाका पोस्ट ऑफिस के सामने टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं01 पोस्ट ऑफिस के सामने टोडारायसिह जिला टोंक राज0

2–श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र श्री मिश्रीलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स लक्की एन्टरप्राईजेज अजमेर रोड मालपुरा जिला टोक राज0 निवासी अजमेर रोड मालपुरा जिला टोक राज0

3–श्रीमति ज्योति मित्तल पत्नि श्री राकेश कुमार मित्तल प्रोपरायटर मैसर्स राधास्वामी ट्रेडर्स घण्टाघर के पास सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज0 निवासी सदर बाजार केकडी जिला अजमेर

4–श्री भजनलाल विश्नोई पुत्र श्री जयकिशन विश्नोई पार्टनर मैसर्स धैनू श्री डेयरी प्रोडक्ट्स खसरा नम्बर 103/2 प्लाट नं0 37 सलावास जोधपुर राज0 निवासी 12/113 सरदार पटेल स्कूल के पास के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेज जोधपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–श्री शिवप्रसाद शर्मा, अभिभाषक,अप्रार्थी संख्या 3 उपस्थित
3– अप्रार्थी संख्या 1,2 व 4 की और से उनके प्रतिनिधि उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 24.02.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.08.2021 को समय 1.40 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स जितेन्द्र कुमार हरिशकंर चुंगी नाका पोस्ट ऑफिस के सामने टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री हरिशकंर पाटीदार पुत्र श्री लालचन्द पाटीदार एफ.बी.ओ मैसर्स जितेन्द्र कुमार हरिशकंर चुंगी नाका पोस्ट ऑफिस के सामने टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं01 पोस्ट ऑफिस के सामने टोडारायसिह जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया [illegible] मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:17:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **घी धैनू सरस ब्राण्ड** (Ghee Dhenu Saras Brand) जिसके बैच नं0 ए 01 एंव पैकिग की दिनांक 16.04.2021 अकिंत थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री हरिशकंर पाटीदार को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हरिशकंर पाटीदार एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 450–450 ग्राम के 11 नग मूल पैक **घी धैनू सरस ब्राण्ड** (Ghee Dhenu Saras Brand) रखे हुये मे से 4 नग बोतल का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री हरिशकंर पाटीदार को रू0 686/–अक्षरे छः सौ छियासी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **घी धैनू सरस ब्राण्ड** (Ghee Dhenu Saras Brand) खरीदशुद्वा 4 नग 450–450 ग्राम को ज्या का ज्यो साफ प्रिन्टेड को लेकर 4 नग मूल पैक मे से 450–450 ग्राम के एक–एक नग के नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2887 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2887 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. हरिशकंर पाटीदार के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री हरिशकंर पाटीदार ने मौके पर **घी धैनू सरस ब्राण्ड** (Ghee Dhenu Saras Brand) का बतोर वारंटी बिल मैसर्स लक्की एन्टरप्राईजेज अजमेर रोड मालपुरा जिला टोक राज0 का खरीद/वारन्टी बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 42 दिनांक 17.06.2021 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स लक्की एन्टरप्राईजेज अजमेर रोड मालपुरा जिला टोक राज0 से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स राधास्वामी ट्रेडर्स घण्टाघर के पास सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज0 का खरीद बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं0 233 दिनांक 27.05.2021 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स राधास्वामी ट्रेडर्स घण्टाघर के पास सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज0 से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स धैनू श्री डेयरी प्रोडक्ट्स खसरा नम्बर 103/2 प्लाट नं0 37 सलावास जोधपुर राज0 का खरीद बिल क्रमांक/ इन्वॉइस नं0 092 दिनांक 02.06.2021 की छायाप्रति पेश की।

Signature Not Verified

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 [illegible] प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना [illegible] माग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर [illegible] राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर [illegible]

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:17:15 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2021/2822 दिनांक 06.09.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/852/एक्ट/2021/885 दिनांक 17.08.2021 अनुसार हरिशकंर पाटीदार से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **घी धैनू सरस ब्राण्ड** (Ghee Dhenu Saras Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **घी धैनू सरस ब्राण्ड** (Ghee Dhenu Saras Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी संख्या 1,2 व 4 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत ना कर बहस हेतु निवेदन किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी धैनू सरस ब्राण्ड** (Ghee Dhenu Saras Brand)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी धैनू सरस ब्राण्ड (Ghee Dhenu Saras Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री हरिशकंर पाटीदार पुत्र श्री लालचन्द पाटीदार एफ.बी.ओ मैसर्स जितेन्द्र कुमार हरिशकंर चुंगी नाका पोस्ट ऑफिस के सामने टोडारायसिंह जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं01 पोस्ट ऑफिस के सामने टोडारायसिह जिला टोंक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार हजार रू0) अप्रार्थी श्री कैलाश चन्द जैन पुत्र श्री मिश्रीलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स लक्की एन्टरप्राईजेज अजमेर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी अजमेर रोड मालपुरा जिला टोक राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस [illegible] हजार रू0) अप्रार्थी श्रीमति ज्योति मित्तल पत्नि श्री राकेश कुमार मित्तल [illegible] ट्रेडर्स घण्टाघर के पास सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज0 निवासी [illegible] बाजार केकडी जिला अजमेर पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार [illegible]) [illegible] श्री भजनलाल विश्नोई पुत्र श्री जयकिशन विश्नोई पार्टनर मैसर्स धैनू श्री डेयरी प्रोडक्ट्स खसरा नम्बर 103/2 प्लाट नं0 37 सलावास जोधपुर राज0 निवासी 12/113 सरदार पटेल स्कूल के पास के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेज जोधपुर राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार हजार रू0) आरोपित की जाती

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:17:15 IST
Reason: SelfAttested

है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.02.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

24-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:17:15 IST
Reason: SelfAttested